न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2022 (2022/108) उनवान लादू बनाम घमला ::

लादू पुत्र रामलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। --प्रार्थी

बनाम

1. घमला देवी पत्नी रणजीत जाति जाट आयु बालिग
2. शीला देवी पत्नी विश्राम जाति जाट , आयु बालिग
3. अमीत पुत्र विश्राम जाति जाट आयु बालिग
4. अशोक पुत्र विश्राम जाति जाट आयु बालिग
5. कुलदीप पुत्र रणजीत जाति जाट, आयु बालिग
6. राजेश पुत्र विश्राम जाति जाट ,आयु बालिग
7. लाडां पत्नी रामरतन जाति जाट, आयु बालिग
8. सोदान पुत्र गंगाराम, जाति जाट,आयु बालिग
9. छीतर पुत्र हरकरण, जाति जाट, आयु बालिग
10. रघुनाथ पुत्र नोरत, जाति जाट, आयु बालिग
11. रामेश्वर पुत्र हरकरण, जाति जाट, आयु बालिग
12. रिद्विकरण पुत्र बालू जाति जाट, आयु बालिग
13. सुवा पत्नी हरकरण जाति जाट, आयु बालिग

सर्व निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

14. ग्राम पंचायत अरांई जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अरांई
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:49 IST
Reason: SelfAttested

--अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 06.04.2023

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत अभिभाषक श्री अशोक कुमार शर्मा ने पेश किया। प्रकरण जांच रिपोर्ट होने के पश्चात दिनांक 15.09.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 103/2022 पर दर्ज किया गया एवं अप्रार्थीगणों की जरिये सम्मन तलबी करवाई गई। प्रार्थी अभिभाषक के अनुसार संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की भूमि ग्राम अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688 हैक्टैयर स्थित है जिसमें उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है, तथा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगणों तथा अप्रार्थीगणों के मध्य उक्त भूमि का राजस्व नक्शा में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये पूर्व में प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया था जिसपर तहसीलदार अरांई द्वारा पटवार हल्का व गिरदावर द्वारा सीमाज्ञान किया गया मौका पर्चा दिनांक 17.06.2022 को तैयार किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि की नीव सींव तथा मेड को लेकर आये दिन प्रार्थी से विवाद करते रहतें हैं तथा प्रार्थी को परेशान करते रहतें है इसीलिये प्रार्थी को अपनी स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की भूमि ग्राम अरांई में स्थित,जिसके खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688 हैक्टैयर की पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश करना न्यायहित में आवश्यक हुआ। यह है कि प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है लेकिन जब भी प्रार्थी अपनी भूमि पर बाह जोत करता है तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की भूमि की चारों ओर लगती सीमा के सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित भूमि खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रार्थी के पक्ष में करने की कृपा करें।

दिनांक 07.10.2022 को तलबी होने के बावजूद प्रतिवादीगण दिनांक 24.03.2022 तक अनुपस्थित रहे अतः अप्रार्थीगणों के विरूद्ध दिनांक 24.03.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बन्द किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की भूमि ग्राम अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688 हैक्टैयर स्थित है जिसमें उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है, तथा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगणों तथा अप्रार्थीगणों के मध्य उक्त भूमि का राजस्व नक्शा में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये पूर्व में प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया था जिसपर तहसीलदार अरांई द्वारा पटवार हल्का व गिरदावर द्वारा सीमाज्ञान किया गया मौका पर्चा दिनांक 17.06.2022 को तैयार किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि की नीव सींव तथा मेड को लेकर आये दिन प्रार्थी से विवाद करते रहतें हैं तथा प्रार्थी को परेशान करते रहतें है इसीलिये प्रार्थी को अपनी स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की भूमि ग्राम अरांई में स्थित,जिसके खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688 हैक्टैयर की पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश करना न्यायहित में आवश्यक हुआ। यह है कि प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है लेकिन जब भी प्रार्थी अपनी भूमि पर बाह जोत करता है तब प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की भूमि की चारों ओर स्थित ... काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित भूमि खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:49 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रार्थी के पक्ष में करने की कृपा करें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया, अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अरांई में स्थित भूमि जिसके खाता संख्या 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 3644/1971 रकबा 0.0405 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8688 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:49 IST
Reason: SelfAttested